राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकःप.27(2)मं.मं / 2009 जयपुर, दिनांकः 23 दिसम्बर, 2011

परिपत्र

इस सचिवालय के परिपत्र क्रमांक प. 27(4)मं.म. / 98 दिनांक 1.10.2002 के क्रम में देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश / आज्ञाओं में महामहिम राज्यपाल महोदय का कहीं उल्लेख नहीं किया जाता है, जबकि राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम 11 में स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश आदि महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से जारी किये जाने चाहिये ।

अतः भविष्य में राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम 11 की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित करते हुए जारी की जाने वाली आज्ञा/ आदेश पर ''आज्ञा से'' के स्थान पर ''राज्यपाल की आज्ञा से'' स्पष्टतया अंकित किया जावे ।

(डॉ0 आर0पी0जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
7. सचिवालय के समस्त विभाग / प्रकोष्ठ।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव